न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **डॉ. मंजू,** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 116/2024 (रा.अ.)
पंजीयन दिनांक 18.12.2024
GCMS NO. :-2024/416

कन्हैयालाल रेगर माता श्यामा बाई पुत्री स्व. कालू रेगर, उम्र 19 वर्ष, निवासी नारेला, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–अपीलांट

बनाम

1–हेमराज पिता स्व. कालू रेगर, उम्र बालिग, निवासी सैंती, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2–मंजू बाई पुत्री स्व. कालू रेगर, उम्र बालिग, निवासी सैंती, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
3–बसंती बाई पत्नी स्व. कालू रेगर, उम्र बालिग, निवासी सैंती, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
4–प्रहलाद माता श्यामा बाई पुत्र स्व. नंदलाल रेगर, उम्र बालिग, निवासी सैंती, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
5–सरकार जरिये तहसीलदार चित्तौड़गढ़, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश नामान्तरण संख्या 3729 दिनांक 21.07.2023 पटवार हल्का सैंती, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

उपस्थिति :– 1–श्री राकेश पुरी, गोस्वामी, अधिवक्ता अपीलांट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्र. सं. 116/2024 (रा. अ.)
कन्हैयालाल रेगर माता श्यामा बाई पुत्री स्व. कालू रेगर निवासी नारेला, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ बनाम हेमराज पिता स्व. कालू रेगर निवासी सैंती, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ वगैरा

निर्णय

दिनांक 12.05.2026

प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट ने अपील इस आशय की पेश की है कि मौजा सैंती के खाता संख्या 735 पर दर्ज आराजी संख्या 2048/1700 रकबा 0.50 हैक्टेयर भूमि जो गैर खातेदारी की है में स्व. कालू रेगर का स्वर्गवास होने से विरासतीय नामान्तरण रेस्पोडेन्ट्स के नाम पर गैर खातेदारी हक से खोला जो न्याय, नियम एवं गलत सूचना के आधार पर खोले जाने से निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ द्वारा खोला गया नामान्तरण संख्या 3729 दिनांक 21.07.2023 निरस्त फरमावें।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को सूचना पत्र जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 3 व 4 के सूचना पत्र बाद तामील प्राप्त हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 3 व 4 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुए। अतः बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 3, 4 की अनुपस्थिति दर्ज की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 5 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री कमलेश धाकड़ ने अधिकार पत्र एवं जवाब पेश किया। दौराने बहस अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 भी उपस्थित नहीं हुए। अतः बहस प्रकरण अधिवक्ता अपीलांट सुनी गई एवं प्रकरण गुणावगुण पर देखा।

अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मौजा सैंती के खाता संख्या 735 पर दर्ज आराजी संख्या 2048/1700 रकबा 0.50 हैक्टेयर में कालू रेगर का स्वर्गवास होने से विरासतीय नामान्तरण हेमराज, मंजूबाई, श्यामूबाई पिता कालू रेगर एवं बसंतीबाई पत्नी कालू रेगर के नाम गैर खातेदारी में दर्ज चला आ रहा है दिनांक 21.07.2023 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 ने झूंठे

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्र. सं. 116/2024 (रा. अ.)
कन्हैयालाल रेगर माता श्यामा बाई पुत्री स्व. कालू रेगर निवासी नारेला, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ बनाम हेमराज पिता स्व. कालू रेगर निवासी सैंती, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ वगैरा

प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्रों के आधार पर खातेदार श्यामूबाई को फौत हो जाने पर अविवाहित बताते हुए गलत सजरा प्रस्तुत कर श्यामूबाई को लाऔलाद मानते हुए श्यामूबाई के वारिसान को उनके हक से वंचित करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 ने नामान्तरण खुलवा दिया जो निरस्त योग्य है। सही पारिवारिक सजरा निम्नानुसार हैः–

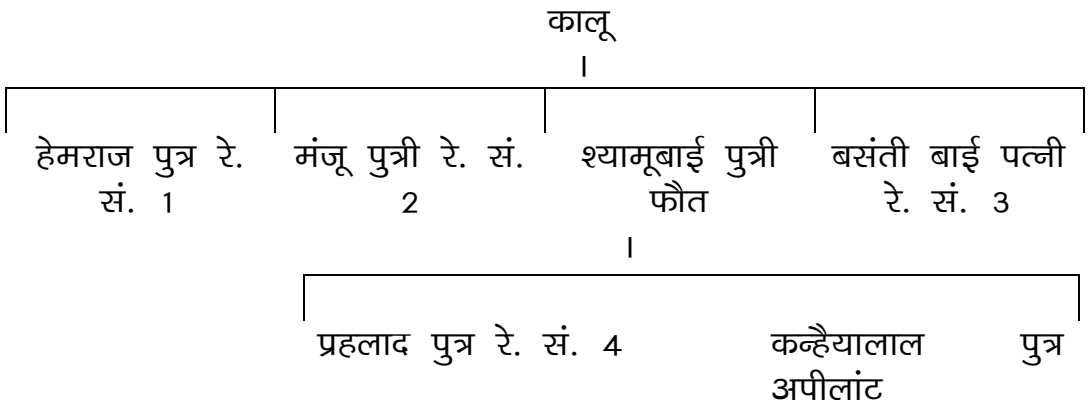

अपीलांट की माता श्यामूबाई विरासत से खाता संख्या 735 पर गैर खातेदार दर्ज चली आ रही थी जबकि श्यामूबाई अविवाहित नहीं होकर विवाहित थी उसका ससुराल ग्राम नारेला में है तथा उसके पति का नाम नंदलाल था जिसकी भी मृत्यु हो चुकी है श्यामूबाई के दो पुत्र अपीलांट कन्हैयालाल तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 4 प्रहलाद है जो कि श्यामूबाई के जन आधार संख्या 4866482075 में भी पुत्रों का नाम दर्ज है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 ने अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 4 को अपने हक से वंचित करते हुए गलत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्रों के आधार पर नामान्तरण संख्या 3729 दिनांक 21.07.2023 पारित करवा लिया जो न्याय, नियम एवं वाक्याति तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उक्त नामान्तरण की जानकारी अपीलांट को नहीं थी। अपीलांट को इसकी सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 29.11.2024 को पटवार हल्का से नकल लेने पर हुई। नकल प्राप्त होते ही अपील जानकारी दिनांक 29.11.2024 से अन्दर मियाद

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्र. सं. 116/2024 (रा. अ.)
कन्हैयालाल रेगर माता श्यामा बाई पुत्री स्व. कालू रेगर निवासी नारेला, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ बनाम हेमराज पिता स्व. कालू रेगर निवासी सैंती, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ वगैरा

प्रस्तुत है फिर भी देरी को कण्डोन किये जाने हेतु दफा 05 कानून मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र संलग्न है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित विरासतीय नामान्तरण संख्या 3729 दिनांक 21.07.2023 निरस्त किया जाकर मृत्तक श्यामूबाई का विरासतीय नामान्तरण अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 4 के नाम खोले जाने का आदेश प्रदान करावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने जवाब पेश किया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मे वर्णित तथ्य एवं कॉलम संख्या 04 में जो सजरा दिया है वह सही होना स्वीकार है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तरण संख्या 3729 दिनांक 21.07.2023 निरस्त फरमावें।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनता से अवलोकन किया। सर्वप्रथम हम धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ-पत्र के मद्देनजर विलम्ब के संबंध में नरमी का रूख अपनाते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जाना न्यायोचित समझते हैं। तद्नुसार धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद मानी जाती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनतापूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया एवं प्रकरण गुणावगुण पर देखा। जिसके अनुसार पत्रावली में उपलब्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के जवाब एवं अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अन्तर्गत मृत्तक श्यामा बाई के जन आधार कार्ड क्रमांक 4866482075 की छायाप्रति का अवलोकन किया जिससे यह स्पष्ट प्रतिवेदित है कि मृत्तक श्यामा बाई अविवाहित नहीं होकर विवाहित थी तथा उसके दो पुत्र क्रमशः प्रहलाद रेगर एवं कन्हैयालाल रेगर है जो कि प्रकरण में क्रमशः रेस्पोडेन्ट संख्या 4 एवं अपीलांट है जबकि अधीनस्थ तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ ने विवादित नामान्तरण संख्या 3729 दिनांक 21.07.2023 में श्यामा बाई को अविवाहित फौत होना बताते हुए उक्त विवादित नामान्तरण स्वीकृत किया है

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्र. सं. 116/2024 (रा. अ.)
कन्हैयालाल रेगर माता श्यामा बाई पुत्री स्व. कालू रेगर निवासी नारेला, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ बनाम हेमराज पिता स्व. कालू रेगर निवासी सैंती, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ वगैरा

अर्थात् अधीनस्थ तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा उक्त नामान्तरण पारित करने से पूर्व विधिवत् जांच नहीं की।

नामान्तरण को दर्ज करने एवं उसकी जांच व सक्षम अधिकारी द्वारा उसे निर्णित करने के संबंध में राजस्थान भू राजस्व (भू अभिलेख) नियम, 1957 के नियम 121 के प्रावधान लागु होते है, उक्त नियम 121(4) में अंकित हिदायतों की पालना करते हुऐ नामान्तरण निर्णित करने हेतु सक्षम अधिकारी को नामान्तरण से संबंध में पूर्ण जांच उपरांत नामान्तरण तस्दीक करना होता है, किन्तु अधीनस्थ तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ द्वारा उक्त नामान्तरण स्वीकृत करने में इस तथ्य की पूर्ण रूप से अनदेखी किया जाना स्पष्ट रूप से प्रतिवेदित है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ द्वारा स्वीकृत नामान्तरण संख्या 3729 स्वीकृत दिनांक 21.07.2023 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि विवादित आराजीयात के संबंध में उभय पक्ष को साक्ष्य–सबूत पेश करने का अवसर दिया जाकर तथा उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर विधिक वारिसान की जांच कर विधि–सम्मत् कार्यवाही करें।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(डॉ. मंजू)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official